कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर
मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय)

क्रमांकः–मु.मु./जल/स्वावलम्बन/1822 दिनांकः– 16/07/2018

विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के अन्तर्गत राज्य निधि मद से करवाये जा रहे कार्यो की तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन /निगरानी कराये जाने हेतु निम्नानुसार पात्र सेवानिवृत्त तकनीकी कार्मिको/सरकारी एवं गैर सरकारी तकनीकी संस्थाओं को मानदेय के आधार पर सूचीबद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.7.2018 सांय 3.00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

पात्रताः–

सार्वजनिक निर्माण विभाग,नगरीय विकास विभाग, स्वायत शासन विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, भू–जल विभाग के सेवानिवृत्त राजपत्रित तकनीकी कार्मिक तथा राज्य के तकनीकी विश्वविद्यालय, निदेशालय तकनीकी शिक्षा से संबंधित सरकारी एवं गैर सरकारी तकनीकी महाविद्यालय।

विस्तृत शर्ते वेबसाईट sppp.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय समय में जिला कलक्टर जयपुर कार्यालय में देखी जा सकती है।

जिला कलक्टर,
जयपुर

क्रमांकः–मु.मु./जल/स्वावलम्बन/1823 दिनांकः– 16/07/2018

प्रतिलिपिः–

1– अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, लालकोठी जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आप निविदा कमेटी के सदस्य है, उपरोक्त दिनांक 23.7.2018 को इस कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर (उत्तर) के कक्ष में समय पर उपस्थित होवे।

2– निदेशक जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न निविदा सूचना की R.T.P.P.नियमों के प्रावधानानुसार समय पर एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करा बिल सहित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध करावे।

3– नोटिस बोर्ड संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं कार्यालय जिला कलक्टर जयपुर।

4– ए.सी.पी. (उप निदेशक) सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग कलेक्ट्रेट जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञप्ति को एसपीपीपी पोर्टल एवम् जिला कलक्टर जयपुर की वेबसाईट पर अपलोड करावे।

5– समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस विज्ञप्ति को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।

6– गार्ड पत्रावली।

जिला कलक्टर,
जयपुर